International Research Vision (Int. Res. Vn.)
ISSN: 2454-3721
Volume 3 Issue 1: 17-23, 2017

समकालीन परिदृश्य में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता

मृणाल शर्मा और कमलजीत कौर*
राजनीति विज्ञान विभाग, आगरा, कॉलेज, आगरा
*राजनीति विज्ञान विभाग गुरू नानक देव एजूकेशनल इंस्टीट्यूट (स्वत्ति पोशित) इटारा, मैजियलगंज, जिला लखीमपुरखीरी

सारांश

द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् गुटनिरपेक्षता आंदोलन का उदय हुआ। यह उस काल की नवीन परिकल्पना थी जिसमें उन राष्ट्रों को संगठित किया गया जो तत्कालीन विश्व के किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं थे। तीसरे विश्व के देशों का यह एक वृहद आन्दोलन था। यह गुट अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाने को तत्पर था। परन्तु इसका उददेश्य समन्वयकारी था तथा यह एक तटस्थकारी भूमि का चाहता था। इसके संस्थापक नेहरू, नासिर व टीटो एक स्वतंत्र विदेश नीति के पक्षधर थे। उग्र आन्दोलन की अनेक आलोचनाओं में प्रमुख आलोचना यह भी थी कि गुटों से पृथक रहने के बावजूद भी राष्ट्रों का किसी न किसी रूप में इकतरफा झुकाव रहा है तथा यह झुकाव आर्थिक हितों पर आधारित है। परन्तु इसके साथ ही इसके प्रभाव को भी नकारा नहीं जा सकता क्योंकि गुटनिरपेक्षता के सिद्धान्त ने महाशक्तियों को अपनी विदेश, आर्थिक नीति को लचीला बनाने के प्रयास के रूप में भी देखा जा सकता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गुटनिरपेक्षता आंदोलन की प्रासंगिकता व उपयोगिता को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है।

शीर्षक विश्लेषण

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में परिवर्तन लाने वाले तत्वों में गुटनिरपेक्षता का विशेष महत्व है। इस आन्दोलन के प्रादुर्भाव तथा विकास को अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के समकालीन युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली परिवर्तन माना जाता है। यह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की एक ऐसी घटना है जो द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् घटी एवं ऐसी शक्ति का प्रतीक है, जिसके अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की प्रकृति निर्धारित होती है। गुटनिरपेक्ष आन्दोलन तीसरी दुनिया के विकासशील देशों का एक संगठन है, जिसके अधिकांश सदस्य देश पहले उपनिवेश रहे हैं। इस आन्दोलन को नव स्वतन्त्रता प्राप्त देशों द्वारा मुख्यतः 1945 के बाद लोकप्रिय बनाया गया था।

दीर्घकालीन औपनिवेशक आधिपत्य से स्वतन्त्र होने के लम्बे संघर्ष के पश्चात् पुनः किसी अन्य महाशक्ति के आधिपत्य को स्वीकार कर पाना नवोदित राष्ट्रों हेतु एक असुविधाजनक स्थिति थी। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में वे एक ऐसी भूमिका की तलाश में थे जो उनके आत्मसम्मान एवं क्षमता के अनुरूप हो। तत्कालीन परिस्थितियों में किसी एक राष्ट्र द्वारा ऐसी स्वतन्त्र भूमिका अर्जित कर पाना सम्भव नहीं था। इसलिये एक सामूहिक प्रयास अवश्यम्भावी कदम बन चुका था। स्वतन्त्रता और सामूहिकता की इस मानसिकता ने गुटनिरपेक्षता की वैचारिक और राजनीतिक नींव रखी। इस प्रक्रिया को शीतयुद्ध के तात्कालिक राजनीतिक वातावरण ने गति प्रदान की। फलस्वरूप नवोदित सम्प्रभु राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा गुटनिरपेक्षता को विदेश नीति के प्रमुख सिद्धान्त के रूप में अपनाये जाने का निर्णय लिया गया। नवोदित राज्यों के इस निर्णय के परिणामस्वरूप विश्व पटल पर गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का उद्भव हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ और उनके गुटों द्वारा इन नव स्वतन्त्र राज्यों को अपने उपनिवेशवादी नियन्त्रण के अधीन लाने हेतु निरन्तर प्रयत्नों के विरोध स्वरूप तीसरे–विश्व के देशों का एक वृहद् आन्दोलन गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के नाम से विकसित हुआ।

गुटनिरपेक्षता का अर्थः

गुटनिरपेक्षता शब्द का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अर्थ में जार्ज लिस्का ने किया।[1] गुटनिरपेक्षता से तात्पर्य है – शीतयुद्ध कालीन वातावरण का विरोध, सैनिक तथा राजनीतिक गठबन्धनों का विरोध, शक्ति गुटों की राजनीति से दूर रहना, दोनों महाशक्तियों अमेरिका तथा सोवियत संघ के साथ मैत्रीपूर्ण

सम्बन्ध रखना, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में स्वतन्त्र निर्णय लेना, स्वतन्त्र विदेशनीति का विकास करना, जो विश्व दृष्टिकोण तथा अपने राष्ट्रीय हितों के अनुकूल हो।

जे. एन. दीक्षित के अनुसार – गुटनिरपेक्ष होने का अर्थ है – "अपने हितों के अनुसार, जहाँ तक सम्भव हो, विदेश प्रभाव के बिना, निर्णय करने की स्वतन्त्रता।[2]"

7 दिसम्बर 1946 को नेहरू ने कहा था – "हम अपनी इच्छा से इतिहास का निर्माण करेंगे।[3] इस नीति का उद्देश्य किसी तृतीय–गुट का निर्माण करना नहीं, वरन दो विरोधी गुटों के मध्य सन्तुलन कायम करना है। यद्यपि गुटनिरपेक्षता की नीति सैनिक गुटों से स्वयं को अलग रखती है, परन्तु यह राष्ट्रों के मध्य प्रत्येक प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देती है। गुटनिरपेक्षता का एक अर्थ भिन्न विचारधाराओं और सामाजिक व्यवस्थाओं का शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व भी है। इस ढाँचे में एक–दूसरे की प्रभुसत्ता सम्पन्न समानता के प्रति सम्मान का भाव रखना न केवल अनिवार्य है, बल्कि इसकी बाध्यता भी है।[4]

गुटनिरपेक्षता की अवधारणाः

जार्ज श्वार्जनबर्गर ने गुटनिरपेक्षता से सम्बन्धित 6 धारणायें प्रस्तुत की हैं, वे छः धारणायें अलगाववाद (आइसोलेशनिज्म); अप्रतिबद्धता (नॉन कमिटमेण्ट); तटस्थता (न्यूट्रेलिटी); तटस्थीकरण (न्यूट्रेलाइजेशन); एक–पक्षवाद (यूनीलेट्रलिज्म); असंलग्नता (नॉन–इन्वॉल्वमेण्ट)[5] परन्तु इन्होंने गुटनिरपेक्षता को इनसे अलग माना।

अलगाववाद विश्व राजनीति में कम से कम भाग लेने या उससे बिल्कुल अलग रहने के सिद्धान्त का नाम है। इस प्रकार की नीति भौगोलिक पर्यावरण का परिणाम भी हो सकती है और तकनीकी विकास का भी। अप्रतिबद्धता से तात्पर्य है दो–महाशक्तियों से समान सम्बन्ध रखते हुये उनमें से किसी एक के साथ पूर्णतया प्रतिबद्ध न होना। तटस्थता किसी देश की कानूनी व राजनीतिक स्थिति हे जो किसी युद्ध के दौरान दोनों ही योद्धा राष्ट्रों में से किसी को भी साथ युद्ध में संलग्न होने की अनुमति नहीं प्रदान करती। तटस्थीकरण से तात्पर्य है कि कोई देश हमेशा के लिये तटस्थ है तथा वह अपनी तटस्थीकृत स्थिति को कभी नहीं त्याग सकता। जैसे – स्विटजरलैण्ड, आस्ट्रिया। एकपक्षवाद से तात्पर्य है कि सभी देश निःशस्त्रीकरण जैसे आदर्शों का स्वयं पालन करें, परन्तु उनका इस तथ्य से कोई सरोकार नहीं होना चाहिये कि अन्य देश भी वैसा करते हैं अथवा नहीं। असंलग्नता परस्पर–विरोधी विचारधाराओं के मध्य उत्पन्न हुये टकराव को समझने पर बल दती है तथा इस टकराव से पृथक रहने हेतु प्रेरित करती है। श्वार्जनबर्गर का मत है कि गुटनिरपेक्षता उपर्युक्त छः धारणाओं से भिन्न है। उसके अनुसार गुटनिरपेक्षता मित्र–सन्धियों अथवा गुटों से बाहर रहने की नीति है।

गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के तीन प्रमुख कर्णधार भारत के प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू, मिस्त्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टीटो सामाजिक व राजनीतिक दर्शन के आधार पर सिद्धान्त आधारित स्वतन्त्र विदेशनीति के निर्माण के पक्षधर थे। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् सम्पूर्ण विश्व समुदाय का विचारधारा के आधार पर दो खेमों में ध्रुवीकरण हो गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका की पूँजीवादी विचारधारा तथा सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा के मध्य वैचारिक मतभेदों के परिणामस्वरूप शीतयुद्ध का जन्म हुआ। तत्कालीन परिस्थितियों में नाटो (1949), सीटों (1949), सेन्ट्रो (1955–बगदाद–समझौता), वारसा–पैक्ट जैसे सैनिक गठबन्धनों के निर्माण के कारण एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका के नवोदित राष्ट्रों के समक्ष मुख्य समस्या यह थी कि वे किस खेमे में शामिल हों। हालाँकि अमेरिका के विदेशमंत्री फास्टर डलेस (Foster Dulles) ने घोषणा की थी कि विश्व में केवल दो ही खेमे हैं, तीसरा अन्य कोई खेमा या विकल्प नहीं हो सकता। गुटनिरपेक्षता की अवधारणा के पीछे मूल धारणा यह थी कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से मुक्ति पाने वाले देशों की शक्तिशाली गुटों से पृथक रखकर उनकी स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखा जाये।

गुटनिरपेक्षता की अवधारणा पर टिप्पणी करते हुये के. सुब्रह्मण्यम ने कहा कि गुटनिरपेक्षता का यह सिद्धान्त एक ऐसे महान राष्ट्र का प्रत्युत्तर था जो कि उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर शीतयुद्ध के दवाब को रोकना चाहता था। यह उपनिवेशवाद के उन्मूलन के लिये अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के लिये तथा एक ऐसी विश्व व्यवस्था के लिये वचनबद्धता थी जिसमें न कोई शोषण होगा, न जातिवाद

होगा और जहाँ सभी स्वाधीन हुये लोगों को एक समान अवसर मिलेंगे। उन्होंने आगे कहा कि गुटनिरपेक्षता दो ध्रुवीय अवधारणा वाली अन्तर्राष्ट्रीय–व्यवस्था में स्वायत्ता की निश्चित घोषणा थी।[8]

गुटनिरपेक्षता की आलोचनाः

अपने प्रादुर्भाव से लेकर, आज तक गुटनिरपेक्षता कठोर आलोचना का विषय रही है। आलोचक गुट निरपेक्षता के विरूद्ध अनेक तर्क देते रहे हैं।

गुटबन्दी प्राचीनकाल से ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त रही है। कोई भी राष्ट्र बिना अन्य राष्ट्रों की सहायता प्राप्त किये अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। इसलिये कुछ देशों के साथ गुटबद्ध होना अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अपरिहार्य सिद्धान्त है।

गुटनिरपेक्षता सैद्धान्तिक रूप से तो उचित प्रतीत होती है, परन्तु इसका व्यवहारिक रूप से पालन कर पाना कठिन तथा हानिप्रद है। इसलिये यह एक अव्यवहारिक सिद्धान्त है, जिसे प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। जैसे–सैद्धान्तिक रूप से गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य राष्ट्रों की स्वतन्त्रता निश्चित करना है, परन्तु व्यवहारिक रूप से इसने बहुत से गुटनिरपेक्ष देशों के सन्दर्भ में इस दायित्व को पूर्ण नहीं किया।

गुटनिरपेक्षता सभी राष्ट्रों के साथ समान व्यवहार की कामना करती है, जो स्वयं में स्वप्नदर्शी व आदर्शवादी नीति प्रतीत होती है, क्योंकि गुटों ने कभी भी सहयोगी राष्ट्रों के साथ समानता के आधार पर बर्ताव नहीं किया, बल्कि ये राष्ट्र इनके केवल सहायक के रूप में रहे। जैसे–युगोस्लाविया की गुटनिरपेक्षता।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोगी एवं मित्र का महत्व नकारा नहीं जा सकता। परन्तु गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने पर मित्र विहीनता की स्थिति बनती है। आलोचकों का मानना है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में वे राष्ट्र सदैव लाभप्रद स्थिति में रहते हैं, जिनके निश्चित मित्र–राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय में एक स्वतन्त्र अस्तित्व बनाकर बेहतर स्थिति में रहते हैं।

गुटनिरपेक्षता अकर्मण्यता एवं दुर्बलता का सिद्धान्त है। आलोचकों के अनुसार शीतयुद्ध के दौरान गुट निरपेक्षता के नाम पर इसके सदस्य देशों ने अपनी अकर्मण्यता को छिपाने हेतु प्रयत्न किये तथा इन राष्ट्रों ने कोई दृढ़ नीति नहीं अपनायी। जैसे– भारत जैसे देश अफगानिस्तान संकट के समय कोई ठोस कदम उठाने में असमर्थ रहे। शीतयुद्धोत्तर काल में पुनः अफगानिस्तान एवं ईराक युद्ध के दौरान भी इन देशों ने अकर्मण्यता का ही परिचय दिया।

गुटनिरपेक्षता दोहरी गुटबन्दी है, क्योंकि गुटनिरपेक्ष देश पश्चिमी तथा साम्यवादी दोनों ही गुटों से सहायता प्राप्त करने हेतु दोहरे मानदण्डों का प्रयोग करते रहे हैं तथा उनका उद्देश्य दोनों गुटों से अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने का रहा है। इसलिये यह एक अवसरवादी नीति भी है और इस नीति में राजनैतिक–नैतिकता का अभाव भी पाया जाता है।

गुटनिरपेक्ष राष्ट्र बाहरी आर्थिक एवं रक्षा सहायता पर निर्भर रहे हैं। चूँकि वे दोनों ही गुटों में सहायता प्राप्त करते रहे हैं। आलोचकों का तर्क है कि सच्ची–गुटनिरपेक्षता आर्थिक–आत्मनिर्भरता को तथ्य रूप से स्वीकार करती है। यदि कोई राष्ट्र किसी प्रकार की सहायता हेतु किसी अन्य राष्ट्र अथवा समूह पर आश्रित हो तो इसका तात्पर्य है कि उस राष्ट्र की स्वतन्त्रता को तथा गुटनिरपेक्षता की नीति को भी दाँव पर लगा दिया गया है।

युद्ध अथवा संकट के समय गुटनिरपेक्ष देश अकेला रह जाता है। इसलिये गुटनिरपेक्षता सदस्य देशों की सुरक्षा का साधन नहीं है, यदि इसके सदस्य देश बाहर से सैनिक सहायता प्राप्त करते हैं तो उनकी गुटनिरपेक्षता का स्वरूप शुद्ध नहीं रह जायेगा। गुटनिरपेक्षता न तो सन् 1962 में भारत पर चीन द्वारा किये गये आक्रमण को रोक पायी और न 1965 और 1971 में पाकिस्तानी आक्रमण को।[9]

गुटनिरपेक्षता की नीति का उद्भव संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ के मध्य जारी शीतयुद्ध के सन्दर्भ में हुआ था, इसलिये शीतयुद्ध की समाप्ति के पश्चात् बदले हुये अन्तर्राष्ट्रीय–परिदृश्य में इस आन्दोलन को भी समाप्त कर देना ही उचित होगा।

गुटनिरपेक्षता का दायरा बहुत सीमित है, क्योंकि इस नीति के अन्तर्गत गुटों से बाहर क्रियाशील होने की अवधारणा नहीं है। इसलिये यह नीति गुटों की राजनीति के इर्द–गिर्द ही घूमती रहती है। इसके अलावा, महाशक्तियों की राजनीति पर प्रतिक्रिया करते रहना भी इस नीति का मुख्य लक्षण है।

शक्ति–सन्तुलन के सिद्धान्त पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक–व्यवस्था में भी गुटनिरपेक्षता की नीति के द्वारा कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हो पाया। एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका के देशों की उपनिवेशवाद से मुक्ति हेतु गुटनिरपेक्ष देशों ने पर्याप्त शब्द–बल का प्रयोग किया, परन्तु उनकी स्वतन्त्रता–प्राप्ति का श्रेय गुटनिरपेक्षता को देना घटनाओं की गलत व्याख्या करना होगा।

गुटनिरपेक्ष देशों के मध्य परस्पर तनाव, वैमनस्य व अनेक विवादास्पद मुद्दे उत्पन्न होते रहते हैं तथा वे अपने इन द्विपक्षीय मामलों को भी सम्मेलन के मंच पर लोकर आपसी तनावों का प्रकटीकरण करते रहते हैं। इससे दृष्टिगोचर होता है कि ये देश परस्पर पर्याप्त रूप से संगठित नहीं हैं।

गुटनिरपेक्ष देश विकसित देशों द्वारा अपने शोषण के विरूद्ध एकजुट नहीं हो पाते, बल्कि आपस में ही एक–दूसरे का शोषण करने की नीति अपनाते रहते हैं। इसके अलावा वे आपस में एक–दूसरे की सहायता करने हेतु भी कोई ठोस योजना नहीं बन सके। जैसे–तेल सम्पन्न राष्ट्र अन्य विकासशील राष्ट्रों को किसी प्रकार की शुल्क दरों में कटौती नहीं करते। अपनी जीवन पद्धतियों की रक्षा हेतु भी गुटनिरपेक्ष देश कोई संयुक्त रणनीति नहीं बना सके।

यद्यपि आलोचकों द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति की उपरोक्त आधारों पर आलोचना की गई है, परन्तु इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि समकालीन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक–परिदृश्य से गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। यह आज भी विश्व का सबसे बड़ा आन्दोलन है। यह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का एक स्थायी तत्व है तथा राष्ट्रों के स्वतन्त्र अस्तित्व की भाँति गुटनिरपेक्षता का अस्तित्व भी विश्व पटल पर सदैव बना रहेगा। सितम्बर, 1986 में हरारे में गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन हुआ। इस अवसर पर राजीव गाँधी ने कहा, "गुटनिरपेक्षता एक विचार है, यह वास्तविकता है, एक आन्दोलन है, इतिहास को बदलने वाली एक शक्ति है। हम एक बार फिर इसके मूल विचार, गरिमा व सम्मान के साथ शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व व विकास के प्रति समर्पित होते हैं।[10]"

गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता:

गुटनिरपेक्षता की नीति का उद्भव व विकास संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ के मध्य जारी शीतयुद्ध के सन्दर्भ में हुआ था। शीतयुद्ध की समाप्ति, बर्लिन की दीवार के पतन तथा वार्सा–सन्धि की समाप्ति के पश्चात् उत्पन्न हुये एकल–ध्रुवीकरण के स्थान पर अब विश्व–व्यवस्था बहुकेन्द्रवाद की ओर अग्रसर हो रही है।

परन्तु विश्व शक्ति संरचना तथा विचारधारात्मक संरचना एकल ध्रुवीय बनी हुई है। सोवियत संघ विघटित हो चुका है। स्वतन्त्र–राज्यों का राष्ट्रमण्डल (CIS) एक कमजोर संगठन है। भूतपूर्व सोवियत संघ का उत्तराधिकारी देश रूस पश्चिमी देशों तथा संयुक्त राज्य अमेरिका पर निर्भर बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ, विशेषकर इसकी सुरक्षा परिषद पर अमेरिका वर्चस्व बना हुआ है। विकासशील देश इन बदलते हुये अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के समीकरणों के अनुसार स्वयं को ढालने का प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु उदारीकरण तथा भूमण्डलीकरण के इस दौर में, विकासशील देश विकसित देशों पर अब और अधिक निर्भर हो गये हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में आये इन परिवर्तनों के कारण गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की प्रासंगिकता पर प्रश्नचिन्ह लगाये जाने लगे। लेकिन गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का औचित्य उसके द्वारा घोषित सिद्धान्तों व उद्देश्यों के सन्दर्भ में खोजा जाना चाहिये। यदि आन्दोलन अपने सिद्धान्तों के प्रति प्रतिबद्ध है एवं समकालीन परिवेश में घोषित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निरन्तर प्रयत्नशील हैं, तो आन्दोलन की प्रासंगिकता स्वतः सिद्ध हो जाती है।

यद्यपि गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के द्वारा साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, रंगभेद, नस्लभेद आदि के उन्मूलन हेतु अहम् भूमिका निभाई गई थी, जिसके फलस्वरूप विश्व पटल पर अनेक स्वतन्त्र व सम्प्रभु राष्ट्रों का उदय हुआ, जिन्हें राजनीतिक–दासता से तो मुक्ति अवश्य प्राप्त हुई, परन्तु आर्थिक रूप से

यह राष्ट्र अभी भी पराधीन हैं। विकास के नाम पर इन गरीब व पिछड़े राष्ट्रों को अनेक प्रलोभनों के पाश में सबल राष्ट्रों ने आबद्ध कर रखा है, उससे मुक्ति दिलाने हेतु गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की आज महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन गई है। गुटनिरपेक्ष आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक–सम्बन्धों की पुर्नसंरचना हेतु प्रतिबद्ध है ताकि विकसित और विकासशील दोनों देशों के हितों के साथ न्याय हो सके तथा उनके मध्य समानता युक्त सम्बन्ध स्थापित हो सके। इस उद्देश्य को प्राप्त किया जाना अभी शेष है, जिसके लिये सदस्य देशों को निष्ठापूर्वक व संकल्पबद्ध होकर प्रयास करने होंगे।

एम. एस. राजन का भी यह तर्क है कि चाहे संसार एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय या बहुध्रुवीय कैसा भी हो छोटे और कमजोर देशों की विदेशनीति, के विकल्प के रूप में गुटनिरपेक्ष सदा ही वैध और प्रासंगिक रहेगी। राजन का यह भी कहना है कि गुटनिरपेक्ष आन्दोलन आज भी उतना ही उपयोगी है जितना 1960 के दशक में था। ऐसा इसलिये है क्योंकि हम आज भी बड़ी शक्तियों के प्रभुत्व का शिकार है।[11]

व्यवहारिक दृष्टिकोण से गुटनिरपेक्षता स्वतन्त्रतापूर्वक विदेश सम्बन्धों के संचालन की नीति है तथा अन्तर्राष्ट्रीय–सम्बन्धों में विदेशनीति की स्वतन्त्रता आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है इसलिये सभी राष्ट्रों की स्वतन्त्रता की रक्षा हेतु गुटनिरपेक्ष आन्दोलन आज भी प्रासंगिक है। पंडित नेहरू ने कहा था कि "असंलग्नता निर्णय लेने एवं कार्य करने की स्वतन्त्रता है, जो हमारी स्वतन्त्रता का एक अंग है।[12]" टोकियों में 1992 में नरसिम्हाराव ने एक भाषण में कहा कि, "गुटनिरपेक्षता की विदेशनीति पर चलना आज पहले से भी अधिक प्रासंगिक हो गया है। गुटनिरपेक्षता का मूल आधार राष्ट्रों की स्वतन्त्रता और उनके विकास का अधिकार है। चाहें गुटों की स्थिति कुछ भी क्यों न हो, चाहे किसी समय एक गुट हो या अनेक, गुट–निरपेक्ष देशों की यह इच्छा है कि वे अपनी स्वतन्त्रता बनाये रखें और उसी के आधार पर किसी अन्य देश के साथ जुड़े बिना स्वयं अपने निर्णय कर सकें।[13]"

नव स्वाधीन राष्ट्रों के शक्तिशाली मंच के रूप में जिस गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का जन्म हुआ था, वस्तुतः उसकी प्रासंगिकता वर्तमान समय में और अधिक बढ़ गई है क्योंकि अभी भी अनेक समस्यायें ज्यों की त्यों बरकरार है। वर्तमान समय में, मानवाधिकार हनन के विरूद्ध आवाज उठाना, पर्यावरण, बौद्धिक–सम्पदा कानून, आतंकवाद, निर्धनता, अशिक्षा, बालश्रम, महिलाओं का शोषण, बीमारी, नशीले पदार्थों की समस्या जैसे कितने ही अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिनके निवारण हेतु गुटनिरपेक्ष देशों को एक जुट होकर प्रयास करना होगा, तभी इस मंच की भूमिका सार्थक हो सकेगी। इसलिये अब इस मंच को नई भूमिका निभाने हेतु पुर्नसज्जित करना होगा।

सितम्बर 1997 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में, गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता पर बोलते हुये, प्रधानमंत्री इन्द्र कुमार गुजराल ने कहा : "गुटनिरपेक्षता शीतयुद्ध का परिणाम (इल.च्तवकनबज) नहीं थी। उस समय, यह पूर्व–औपनिवेशिक एवं अशक्त राष्ट्रों की आवाज की अभिव्यक्ति थी; राजनीतिक और आर्थिक रूप से असमान विश्व का यथार्थ चित्रण एवं उसकी कार्यसूची थी। आज यह आने वाले समय के लिये विवेक की आवाज तथा सकारात्मक कार्ययोजना है, जिसकी यह माँग है कि सभी ओर से, प्रमुख विषयों पर, विश्व–व्यापी समस्याओं पर, साझा उद्देश्य और योगदान किया जाये।[14]"

गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के अनेक उद्देश्यों को आज क्षेत्रीय संगठनों ने अपना लिया है और तीसरी दुनिया के देशों में जो तकनीकी व आर्थिक परिवर्तन हुये हैं, वे एक समान नहीं हैं, परिणामस्वरूप गुटनिरपेक्ष देशों में समृद्धि व जीवन–स्तर में असमानतायें विद्यमान हैं, जिन्हें दूर किया जाना है। गुटनिरपेक्ष आन्दोलन यह मानकर चलता है कि वर्तमान विश्व–व्यवस्था न्यायपूर्ण नहीं है। संसाधनों से लेकर सूचनायें तक पश्चिमी देशों के वर्चस्व में है। वर्तमान विश्व–व्यवस्था तीसरी दुनिया के गरीब देशों के हितों के विरूद्ध है। अतः इसके परिवर्तन की आवश्यकता है। विश्व व्यापार संगठन की शर्तें साफ तौर पर अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे विकसित देशों के पक्ष में है। उदारीकरण ने अमीर देशों के लिये अवसरों का सृजन किया है, जबकि आर्थिक तौर पर पिछड़े देशों में इसकी मार्फत बदहाली हो आयी है।[15]

यह आन्दोलन एक न्यायपूर्ण शोषण रहित विश्व व्यवस्था का पक्षधर है। इसलिये गुटनिरपेक्ष आन्दोलन तब तक अप्रासंगिक नहीं हो सकता, जब तक विश्व में शोषण और अन्याय विद्यमान है। विश्व शान्ति, सुरक्षा तथा विकास के मार्ग में अवरोध अभी विद्यमान है। नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के विषय में उत्तर–दक्षिण वार्तालाप की वास्तविकता को भी मूर्त रूप देना शेष है। विश्व में दक्षिण–दक्षिण

सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता की पूर्ति भी इस मंच के द्वारा बेहतर तरीके से की जा सकती है। बदलती हुई अन्तर्राष्ट्रीय–व्यवस्था में तीसरी दुनिया के देशों के हितों की रक्षा हेतु गुटनिरपेक्षता आज भी एक भरोसेमन्द मंच के रूप में विद्यमान हैं।

शस्त्र–नियन्त्रण, निःशस्त्रीकरण के द्वारा नाभिकीय–हथियारों से मुक्त विश्व की संकल्पना को साकार करने हेतु तथा अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरूद्ध संयुक्त प्रयास करने होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा–परिषद, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व–बैंक, विश्व व्यापार संगठन जैसे अनेक अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों व संस्थाओं पर अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों के वर्चस्व को हावी होने से रोकना है, इस कार्य के निष्पादन हेतु विकासशील देशों का संयुक्त प्रयास आवश्यक है। सन् 1992 में जापान की राजधानी टोकियो में नरसिम्हाराव ने अपना भाषण देते हुये स्पष्ट शब्दों में कहा, "पहले की तुलना में गुटनिरपेक्षता की नीति का औचित्य आज और भी अधिक महत्वपूर्ण है। जब तक राष्ट्रों की दादागिरी चलती रहेगी भारत गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाये रहेगा।[16]"

अतः शीतयुद्धोत्तर राजनीतिक वास्तविकताओं को देखते हुये गुटनिरपेक्ष आन्दोलन आज भी उतना ही प्रासंगिक है, जितना शीतयुद्ध के दौरान था। तीसरी दुनिया के देशों में इसकी विश्वसनीयता लगातार बढ़ी है और यह विकासशील देशों का एक महत्वपूर्ण आन्दोलन बन गया है। इस आन्दोलन ने न केवल उनके प्रमुख मुद्दों को विश्व मंच पर उभारा, बल्कि उनके लिये संघर्ष भी किया। आन्दोलन की बढ़ती साख एवं प्रसिद्धी का अनुमान इसकी बढ़ती हुई सदस्य संख्या, पर्यवेक्षकों एवं आमन्त्रित अतिथियों द्वारा शिखर सम्मेलनों में उपस्थित होने से लगाया जा सकता है। गुटनिरपेक्ष आन्दोलन तब तक प्रासंगिक रहेगा, जब तक समतावादी विश्व–व्यवस्था का जन्म नहीं हो जाता। आवश्यकता है बदलते हुये विश्व परिदृश्य में आन्दोलन को और अधिक सक्षम बनाने की। अनेक विचारधाराओं, विविध शासन पद्धतियों एवं परस्पर विरोधी राष्ट्रों का एक ही मंच पर नियमित मिलन विश्व–समुदाय के रूपान्तरण में अद्वितीय भूमिका अदा कर सकता है।

गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के शिखर सम्मेलनों का विवरण

शिखर सम्मेलन संख्या	स्थान	वर्ष	सदस्य संख्या
1	बेलग्रेड (यूगोस्लाविया)	1–6 सितम्बर 1961	25
2	काहिरा (मिस्र)	5–10 अक्टूबर 1964	47
3	लुसाका (जाम्बिया)	8–10 सितम्बर 1970	53
4	अल्जीयर्स (अल्जीरिया)	5–9 सितम्बर 1973	75
5	कोलम्बो (श्रीलंका)	16–19 अगस्त 1976	85
6	हवाना (क्यूबा)	3–9 सितम्बर 1979	92
7	नई दिल्ली (भारत)	7–11 मार्च 1983	100
8	हरारे (जिम्बाबे)	1–6 सितम्बर 1986	101
9	बेलग्रेड (यूगोस्लाविया)	4–7 सितम्बर 1989	102
10	जकार्ता (इण्डोनेशिया)	1–6 सितम्बर 1992	108
11	कार्टागेना (कोलम्बिया)	18–20 अक्टूबर 1995	113
12	डरबन (दक्षिण अफ्रीका)	2–4 सितम्बर 1998	114
13	कुवालालम्पुर (मलेशिया)	20–25 फरवरी 2003	116
14	हवाना (क्यूबा)	11–16 सितम्बर 2006	118
15	शर्म–अल–शेख (मिस्र)	11–16 जुलाई 2009	118
16	तेहरान (ईरान)	26–31 अगस्त 2012	120
17	वेनेजुएला	13–18 सितम्बर 2016	120

गुटनिरपेक्ष आन्दोलन ने विश्व के पूर्ण ध्रुवीकरण को रोककर, विचारधारागत शिविरों के विस्तार एवं प्रभाव को संयत करके, गुटों के अन्दर भी स्वतन्त्रता की शक्तियों को प्रोत्साहन देकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा बनाये रखने तथा उसे बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज विश्व के सभी

देश गुटनिरपेक्षता के महत्व व मूल्य को स्वीकार करते हैं। गुटनिरपेक्षता अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में सम्पूर्ण तथा सक्रिय भागीदारी द्वारा एक–दूसरे को समझने की नीति है। इस प्रकार गुटनिरपेक्षता की नीति विश्व–मसलों के प्रति एक भिन्न प्रकार की दृष्टि तथा नये प्रकार की विदेशनीति का प्रतिनिधित्व करती है। यह विश्व मसलों के प्रति एक स्वतन्त्र, खुली और लोकतान्त्रिक दृष्टि प्रदान करती है।[17] समकालीन अन्तर्राष्ट्रीय विश्व–व्यवस्था तीव्रता से शीतयुद्ध के तनावों से हटकर आर्थिक विकास की प्रक्रिया में बदल गई है। इसलिये वर्तमान समय में इस आन्दोलन को भंग नहीं होने देना है, बल्कि इसे आज की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक समस्याओं के हल तलाशने हेतु और अधिक सक्षम बनाना सदस्य देशों का महत्वपूर्ण दायित्व है। यह आन्दोलन निष्पक्ष राष्ट्रों का ऐसा समूह है, जो किसी भी पक्षपातपूर्ण व्यवस्था का विरोध करता है। अपने जन्म से ही आन्दोलन नई आर्थिक व्यवस्था और नई सूचना व्यवस्था का भी समर्थन करता रहा है।

संदर्भ सूची

1. भारत की विदेश नीति – वी.एन. खन्ना, लिपाक्षी अरोड़ा, 2001, प्र0 80, विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा0 लि0, नई दिल्ली।
2. भारत की विदेश नीति – वी.एन. खन्ना, लिपाक्षी अरोड़ा, 2001, प्र0 60, विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा0 लि0, नई दिल्ली।
3. गुटनिरपेक्षता – आन्दोलन एवं सम्भावनायें, एम.एस. राजन, 1991, प्र0 11, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली।
4. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धान्तिक पक्ष, महेन्द्र कुमार, 1996, प्र0 337, शिवपाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, आगरा।
5. भारत की विदेश नीति, वी.एन. खन्ना, लिपाक्षी अरोड़ा, 2001, प्र0 62, विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा0 लि0, नई दिल्ली।
6. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धान्तिक पक्ष, महेन्द्र कुमार, 1996, प्र0 362, शिवपाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, आगरा।
7. भारत की विदेश नीति, बी.पी. गौतम, प्र0सं0 56, 2004, मयूर पेपर बॉक्स, नोयडा।
8. भारत की विदेश नीति, बी.एन. खन्ना, लिपाक्षी अरोड़ा, विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा0 लि0, नई दिल्ली।
9. भारत और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, डॉ0 रामदेव भारद्वाज, 2003, प्र0 146, म0प्र0 हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
10. भारत की विदेश नीति, वी.एन. खन्ना, लिपाक्षी अरोड़ा, प्र0 79, विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा0 लि0, नई दिल्ली।
11. भारत की विदेश नीति, वी.एन. खन्ना, लिपाक्षी अरोड़ा, प्र0 82, विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा0 लि0, नई दिल्ली।
12. हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2005, धर्मेन्द्र पाल सिंह, प्र0 8।
13. भारत की विदेश नीति, बी.पी. गौतम, 2004, प्र0 59, मयूर पेपर बैग्स, नोयडा।
14. गुटनिरपेक्ष आन्दोलन एवं सम्भावनायें, एम.एस. राजन, प्र0 12, 1991, हिन्दी माध्यम निदेशालय, दिल्ली।
15. गुटनिरपेक्ष आन्दोलन एवं सम्भावनायें, एम.एस. राजन, प्र0 32, हिन्दी माध्यम निदेशालय, दिल्ली।